

प्रेस-विज्ञप्तिथाना मुबारकपुरचर्चित अंगद यादव की हत्याकाण्ड के अभियुक्त के निशादेही पर आलाकत्ल पिस्टल, कारतूस बरामद

दिनांक – 09.03.2021 को आवेदक इन्द्रजीत यादव पुत्र श्री राजदेव यादव ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि मेरे चचेरा भाई अंगद यादव पुत्र कपिलदेव यादव सिधारी बाजार में स्थित अग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समैनी का कार्य करता था जो दिनांक 08.03.2021 समय लगभग 10 बजे रात्रि को दुकान बन्द करके अपने घर आ रहे थे कि रास्ते में नीबी बुजुर्ग गांव पार करके सिक्सलेन के बगल में पुरानी रंजिश के कारण पिन्टू यादव पुत्र रामकिशुन यादव व शिवानन्द चौबे उर्फ सोनू चौबे पुत्र जयनाथ चौबे ग्रा. कारीसाथ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने साजिश के तहत अज्ञात लोगो के साथ मिलकर हत्या कर दिये थे जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रयाप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बृजेश यादव उर्फ ललई पुत्र इन्द्रासन यादव निवासी बलईसागर थाना जहानागंज आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया था जो मा0 न्यायालय में आत्म समर्पण किया जिसको मा0 न्यायालय द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया जिसके क्रम में -

आज दिनांक – 07.04.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र मय हमराहियान के प्राप्त मा0 न्यायालय द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड में जिला कारागर आजमगढ़ से अभियुक्त बृजेश यादव उर्फ ललई पुत्र इन्द्रासन यादव निवासी बलईसागर थाना जहानागंज आजमगढ़ को साथ में लेकर उपरोक्त हत्या काण्ड में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी के आशय से साथ में लेकर अभियुक्त के गांव बलईसागर पहुंचे कि अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जिस पिस्टल से मैंने अंगद यादव को गोली मारी थी वह पिस्टल मैंने अपने घर के पीछे बने भैस के तबेले के पीछे कोने में छिपा कर रखा हूँ। कि अभियुक्त के बताये स्थान पर जब पुलिस बल के साथ पहुँची तो अभियुक्त द्वारा बताये हुए स्थान पर से एक काली पोलिथिन में से समय 11.45 बजे एक अदद पिस्टल व 2 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर का बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त पूछताछ से बता रहा है कि दिनांक- 08.03.2021 की रात को इसी पिस्टल से अंगद यादव पुत्र कपिलदेव यादव निवासी नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को अपने साथी पिन्टू यादव पुत्र रामकिशुन यादव निवासी कारीसाथ थाना जहानागंज आजमगढ़ के साथ मिलकर गोली मारा था तभी मेरी पिस्टल फस गयी थी तो हम लोगो ने मिलकर गेहू के खेत में गला दबाकर हत्या किया था।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 0049/2021 धारा 302,120बी,506 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर आजमगढ़

बरामदगी –

एक अदद आलाकत्ल पिस्टल .32 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम –

1. SHO अखिलेश कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. कमलनयन दुबे, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 संतोष कुमार, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 दीपक कुमार यादव, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 सत्यम सिंह, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

छेडखानी का वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 17.03.2021 को वादिनी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि गाँव के मानसिंह यादव पुत्र अज्ञात, व अंदीप पुत्र दशरथ व विरेन्द्र पुत्र रामधारी यादव ने मेरे घर पर आये और मेरी लडकी के साथ छेडखानी करने व कपडे फाड दिए विरोध करने पर मुझे मेरी लडकी को गाली गलौज देते हुए मारने पिटने लगे। वादिनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/2021 धारा 354(ख) ,323 ,504, 506 भा0द0वी0 भादवि पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित हो रही थी जिसके क्रम में-

दिनांक – 07.04.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त मे वाँछित अभियुक्त वीरेंद्र यादव पुत्र रामधारी यादव निवासी ग्राम गोछा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के घर पर पुलिस टीम द्वारा दविश दी गयी तो अपने घर पर मिला , जिसको मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुए समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 53/2021 धारा 354(ख),323 ,504, 506 भा0द0वी0 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

वीरेंद्र यादव पुत्र रामधारी यादव निवासी ग्राम गोछा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रणविजय सिंह, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़